क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान तादोंग, गान्तोक(सिक्किम)-737102
REGIONAL AYURVEDA RESEARCH INSTITUTE, TADONG, GANTOK, SIKKIM
(Under Central Council for Research in Ayurvedic Sciences)Ministry of AYUSH, Govt. of India)
Ph.No.03592231494, Fax No. 03592 231213, E- mail: arri-gangtok@gov.in,arri.gangtok@gmail.com

F.No:2-13/2010/RARI/GTK/Admn./ 900 Date: 23/2/2022

Advertisement No. 2/2021

Applications are invited for the following post on contractual basis. The Interview will be held on **15/03/2022, Tuesday at 10:00 am** in the office of the Assistant Director (AD) In-Charge, Regional Ayurveda Research Institute, Tadong, Gangtok, Sikkim.

S. No.	Name of the Post	No. of Posts	Qualification	Remuneration per month
1.	**SRF (Ayurveda)** (RARI Extension centre under North East Plan and S.C.S.P, T.H.C.R.P project of CCRAS)	08	Essential: B.A.M.S. Degree from any recognized University. Preference will be given to the candidate who possess higher qualification or have previous research experience in any research project. Desirable: Knowledge of Computer (M.S. Office, etc.) Age Limit: Up to 35 years	Rs.35,000/- + HRA as per rule
2.	**Pharmacist (Ayurveda)** (For Institute and RARI Extension centre under North East Plan, project of CCRAS)	06	Essential: Diploma in Pharmacy or D. Pharm (Ay.) or B. Pharma or experience of working in Ayurvedic Pharmacy. Age Limit: 27 Years **Will be hired in the institute only through external sources.**	Rs. 16,000/- per month (Fixed)

General Information to the candidates:-

1. Age limit of the candidate will be determined as **on date of interview**. Relaxation in age limit in case of SC/ST/OBC candidates will be as per Government rules.
2. The engagement of above post are initially for a period for six month which may be curtailed or extended at the discretion of the competent authority on the basis of work performance and/or functional requirement and/or their engagement will be co-terminus with the completion of the project/ 31st March of the year which soever be earlier.
3. The engagement of above post will be purely on contractual basis and no right to claim for continuation or regular appointment.
4. Applicants should submit their Bio-data along with the attached format with original certificates, experience certificates etc. with a set of photo copy and two recent passport size photographs.
5. No TA/DA will be paid for attending the written test/interviews.
6. The Selection Committee has right to cancel the selection procedure without assigning any reasons.
7. The formats for submission of application may be downloaded from the Council's website http://ccras.nic.in.
8. Duties and responsibilities of SRF (Ay.) are to attend the OPD, maintain register regularly as per guidelines and to send monthly report, quarterly report and annual report at due time.
9. Leave: Shall be entitled to avail maximum 12 days paid leave in a calendar year.
10. The selected candidates will have to perform any work in addition and they will also be assigned by the competent authority.
11. Number of vacancy may be increased or decreased as per the requirement.

Sd/-
Assistant Director (Ay) In-Charge
Assistant Director (Ayu.) In charge
Regional Ayurveda Research Institute

क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान तादोंग, गान्तोक(सिक्किम)-737102
Regional Ayurveda Research Institute, Tadong, Gangtok (Sikkim) - 737102
(केंन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्, आयुष मन्त्रालय, भारत सरकार)
(Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, Ministry of AYUSH, Govt. of India)
Ph.No.03592231494, Fax No. 03592 231213, E- mail: arri-gangtok@gov.in,arri.gangtok@gmail.com

दिनांक/Date: 23/2/2022

पत्रांक /F. No.2-13/2010/RARI/GTK/Admn/ 900

***विज्ञापन संख्या.* 2/2021**

संस्थान में अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित अस्थायी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।साक्षात्कार दिनांक **15/03/2022, मंगलवार** को सुबह **10:00** बजे कार्यालय, सहायक निदेशक (आयु.) प्रभारी, क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, तादोंग, गंगटोक, सिक्किम में आयोजित किया जाएगा ।

क्र सं	पद का नाम	पदों की संख्या	योग्यता	पारिश्रमिक प्रति माह
	एस.आर.एफ. (आयुर्वेद) {पूर्वोत्तर योजना के तहत आर.ए.आर.आई. विस्तार केंद्र, एस.सी.एस.पी., टी.एच.सी.आर.पी. परियोजना के लिए}	08	आवश्यक: किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ए.एम.एस की डिग्री । जो उच्च योग्यता रखते हैं या किसी शोध परियोजना में पिछले शोध का अनुभव रखते हैं उन्हें वरीयता दी जाएगी । वांछनीय: कंप्यूटर का ज्ञान (एम.एस. ऑफिस आदि) आयु सीमा: 35 वर्ष तक	रु.**35,000/- +** नियम के अनुसार एच.आर.ए.
	फार्मेसिस्ट (आयुर्वेद) {संस्थान एवं पूर्वोत्तर योजना के तहत आर.ए.आर.आई. विस्तार केंद्र, एवं परियोजना के लिए}	06	आवश्यक: फार्मेसी में डिप्लोमा या डी.फार्म. (आयु.) या बी. फार्म या आयुर्वेदिक फार्मेसी में अनुभव आयु सीमा: 27 वर्ष **बाह्य स्त्रोतस के द्वारा हीं संस्थान में कार्य पर रखे जायेंगे।**	रु.**16,000/- +** समेकित

उम्मीदवारों के लिए सामान्य सूचना:-

1. उम्मीदवार की आयु सीमा साक्षात्कार की तिथि के अनुसार निर्धारित की जाएगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट।
2. उपरोक्त पद की नियुक्ति शुरू में छह महीने की अवधि के लिए होगी जिसे कार्य प्रदर्शन और/या कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर घटाया या बढ़ाया जा सकता है और/या उनकी नियुक्ति के साथ होगा परियोजना के पूरा होने तक (सह-टर्मिनस) अथवा 31 मार्च तक,जो भी पहले हो।
3. उपरोक्त पद पर नियुक्ति पूर्णत: संविदा के आधार पर होगी और इसे जारी रखने या नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।
4. आवेदकों को स्कैन मूल प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि के साथ अपना बायोडाटा फोटो कॉपी के एक सेट और दो हालिया पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ संलग्न फ़ारमैट में भर कर जमा/सबमिट करना होगा ।

5 उक्त साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कोई टी.ए. /डी.ए. देय नहीं होगा।

6. चयन समिति को बिना कोई कारण बताए चयन प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार है।
7. आवेदन जमा करने के प्रारूप परिषद की वेबसाइट http://ccras.nic.in से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।
8. ओपीडी में सेवा देना, दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित रूप से रजिस्टर बनाए रखना और नियत समय पर मासिक रिपोर्ट, त्रैमासिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट परिषद् को भेजना एस.आर.एफ (आयु.) के कर्तव्य और जिम्मेदारियां होगी ।
9. चयनित उम्मीदवारों को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 12 दिनों का सवेतन अवकाश प्राप्त होगा।
10. चयनित उम्मीदवारों को सौंपे गए कार्यों के अतिरिक्त कोई भी कार्य जो सक्षम अधिकारी द्वारा सौपा जाएगा को भी करना होगा ।
11. आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है ।

एसडी/-

सहायक निदेशक (आयु.) प्रभारी
Assistant Director (Ayu.) In charge
क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान,
Regional Ayurveda Research Institute

केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार

जवाहर लाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान भवन

61-65, संस्थानिक क्षेत्र, सम्मुख 'डी' ब्लाक, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058

CENTRAL COUNCIL FOR RESEARCH IN AYURVEDIC SCIENCES

Ministry of AYUSH, Govt. of India

Jawahar Lal Nehru Bhartiya Chikitsa Evam Homoeopathy Anusandhan Bhawan

61-65, Institutional Area, Opp. 'D' Block, Janakpuri, New Delhi-110058

ग्राम : आयुष
Gram : "AYUSH"
Fax : 28520748
EPBX
28525852, 28520501
28522524, 28525831
28525862, 28525883
28525897

फा.सं. 65-1/2021-सीसीआरएएस/तक/मुख्या./एससीएसपी/5283 दिनांक: 11 JAN 2022

सेवा में,

निदेशक/सहायक निदेशक/ प्रभारी अधिकारी
आयुर्वेद चल स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम (अनुसूचित जाति योजना) से सम्बंधित संस्थान/केन्द्र (सूची अनुसार)

विषय: आयुर्वेद चल स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम (अनुसूचित जाति योजना) हेतु वर्ष 2022-23 के लिए परियोजना का प्रस्ताव एवं वार्षिक कार्य योजना परिषद् को भेजने के संदर्भ में।

महोदय/महोदया,

आपके संस्थान/केन्द्र में **आयुर्वेद चल स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम (अनुसूचित जाति योजना)** कार्यक्रम चल रहा है जो 31 मार्च 2022 को पूर्ण होगा तथा आगामी वर्ष 2022-23 में अप्रैल 2022 से यह कार्यक्रम नये सिरे से प्रारम्भ होगा। इसके लिए वार्षिक कार्य योजना, परियोजना का प्रस्ताव एवं इसमें होने वाले अनुमानित कुल खर्च का विवरण परिषद् मुख्यालय को भेजें। कार्य योजना बनाने के लिए अनुसूचित जाति जनसंख्या बहुल जिला/ब्लॉक/गावों का चयन करना है। आगामी वर्ष मे अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का लक्ष्य 10,000 तथा 5 से 10 नए ग्रामों/पॉकेट में सर्वेक्षण किया जाना है, यदि जनसंख्या लक्ष्य 5-10 ग्रामों/ पॉकेट में पूरा नहीं होता है तो 10 से अधिक ग्रामों का चयन एक या दो जिलों में किया जा सकता है। चयनित ग्रामों में पूरे वर्ष कम से कम 220 दौरे करने है जिससे अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सेवायें प्रदान की जा सके। वर्ष 2022-23 मे संलग्नक (1) के अनुसार परियोजनायें आरंभ की जानी हैं।

अतः संस्थान प्रभारी एवं सम्बंधित अधिकारियों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम से सम्बंधित सूचनाएं निम्नलिखित निर्देश अनुसार भेजें:

- वर्ष 2021-22 मे चल रहा **आयुर्वेद चल स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम (अनुसूचित जाति योजना)** 31 मार्च 2022 को पूर्ण होने के उपरांत रिपोर्ट (completion report) परिषद को 5 अप्रैल 2022 तक भेजें।
- पूर्ण हुए 2021-22 के कार्यक्रम का विस्तृत वार्षिक प्रतिवेदन की 3 प्रतियां परिषद् को पिछले प्रपत्र के अनुसार बनाकर 15 अप्रैल, 2022 तक भेजे एवं संस्थान/केन्द्र की वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22 में भी इस परियोजना का सारांश (मात्र 5-6 पृष्ठ का) भेजें।
- संस्थान/केन्द्र से अनुरोध है कि जो धनराशि वर्ष 2021-22 में खर्च की गयी है उसका CA द्वारा प्रमाणित उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) परिषद् प्रपत्र के अनुसार 5 अप्रैल, 2022 तक अवश्य भेजे जिससे प्रथम किश्त समय पर दी जा सके।